PCSMANTRA.COM

ईपीएफओ उच्च पेंशन: 4.45 लाख आवेदकों पर ₹1.1 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार

समाचार: 18 नवंबर 2026 | प्रकाशन: 19 नवंबर 2026
परीक्षा-संदर्भ: सामान्य अध्ययन III (अर्थव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा), मुख्य परीक्षा; प्रिलिम्स: ईपीएफओ, ईपीएस-95, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबर क्या है

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) को बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के उच्च वेतन पेंशन संबंधी फैसले को लागू करने पर उसे लगभग ₹1.109 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार उठाना पड़ सकता है। यह अनुमान उन लगभग 4.454 लाख आवेदनों के 100 प्रतिशत स्वीकृत होने की स्थिति पर आधारित है, जिन्हें डिमांड लेटर जारी किए जा चुके हैं।

पृष्ठभूमि: उच्च पेंशन विवाद

- कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा (वेतन का 8.33 प्रतिशत) पेंशन निधि में जाता है।
- मूल योजना में पेंशन योग्य वेतन की सीमा निर्धारित थी; 2014 के संशोधन के बाद उच्च वेतन पर पेंशन का विकल्प सीमित कर दिया गया था।
- 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने पात्र कर्मचारियों को वास्तविक (उच्च) वेतन के आधार पर पेंशन का संयुक्त विकल्प चुनने की अनुमति दी, जिसके बाद ईपीएफओ के पास आवेदन आमंत्रित किए गए।

प्रमुख आंकड़े (13 नवंबर 2026 तक की स्थिति)

- कुल 17.49 लाख आवेदन प्राप्त हुए; इनमें से 2.24 लाख आवेदन नियोक्ताओं द्वारा अंतिम तिथि (31 जनवरी 2025) तक अग्रेषित नहीं किए गए।
- ईपीएफओ के पास लगभग 15.24 लाख आवेदन पहुँचे, जिनमें से 99.2 प्रतिशत का निस्तारण हो चुका है।
- 4,45,471 आवेदकों को डिमांड लेटर जारी किए गए।
- 80,067 मामले डिमांड राशि जमा न होने के कारण बाद में अपात्र पाए गए।
- 2,62,102 आवेदकों ने डिमांड राशि/सहमति जमा की, इनमें 1,03,793 सेवारत हैं और 1,58,309 सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
- 1,53,901 आवेदकों ने फॉर्म-10D जमा किया है या वे पहले से पेंशनभोगी हैं।

- 1,51,874 आवेदकों को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी हो चुके हैं; 2,027 पीपीओ अंतिम चरण में हैं।

> **यह भी पढ़ें:** EPFO 3.0 का प्रस्तावित यूनिवर्सल पेंशन

वित्तीय भार का अनुमान

- 3,15,601 आवेदनों पर कुल अतिरिक्त देयता ₹78,501.42 करोड़ आँकी गई है।
- प्रति व्यक्ति देयता: सेवारत सदस्यों के लिए ₹25.99 लाख, पेंशनभोगियों के लिए ₹23.14 लाख; दोनों वर्गों को मिलाकर औसत लगभग ₹24.9 लाख।
- 2,62,102 संयुक्त-विकल्प आवेदकों पर अनुपातिक अतिरिक्त देयता लगभग ₹65,263 करोड़।
- यदि डिमांड नोटिस प्राप्त सभी 4.454 लाख आवेदन स्वीकृत हुए, तो कुल अतिरिक्त देयता लगभग ₹1.109 लाख करोड़ होगी।
- ईपीएफओ ने चेताया है कि चल रहे मुकदमों के कारण भविष्य में और कर्मचारी पात्र हुए तो यह आंकड़ा बदल सकता है।

आगे की कार्यवाही

ईपीएफओ ने सीबीटी से मार्गदर्शन माँगा है और कहा है कि पीपीओ के समय पर जारी होने, बकाया राशि के भुगतान और कानूनी मामलों के उचित बचाव को सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई प्रतिकूल कानूनी परिणाम न आए।

परीक्षा की दृष्टि से महत्व

- प्रिलिम्स: ईपीएस-95, पीपीओ, फॉर्म-10D, सीबीटी जैसे संस्थागत तथ्य।
- मुख्य परीक्षा: सामाजिक सुरक्षा की वित्तीय व्यवहार्यता, न्यायिक हस्तक्षेप और निधि-प्रबंधन के बीच संतुलन; GS-III (अर्थव्यवस्था) और GS-II (कल्याणकारी राज्य) दोनों से जुड़ा विषय।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: ईपीएस, 1995 के अंतर्गत नियोक्ता के अंशदान का एक हिस्सा पेंशन निधि में जाता है।

कथन 2: पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने के बाद ही पेंशन का भुगतान शुरू होता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

▼ **उत्तर और व्याख्या**

सही उत्तर: (c)

ईपीएस-95 में नियोक्ता के अंशदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा पेंशन निधि में जाता है। पेंशनभोगी को पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी किए जाने के बाद ही पेंशन दी जाती है; ईपीएफओ ने 1,51,874 आवेदकों को पीपीओ जारी किए हैं।

प्रश्न 2. ईपीएफओ की सीबीटी को भेजी जानकारी के अनुसार, डिमांड लेटर प्राप्त सभी आवेदनों के स्वीकृत होने पर उच्च पेंशन का अनुमानित अतिरिक्त भार कितना है?

(a) लगभग ₹65,263 करोड़

(b) लगभग ₹78,501 करोड़

(c) लगभग ₹1.109 लाख करोड़

(d) लगभग ₹2.24 लाख करोड़

▼ उत्तर और व्याख्या

सही उत्तर: (c)

डिमांड नोटिस प्राप्त 4.454 लाख आवेदनों के 100 प्रतिशत स्वीकृत होने की स्थिति में अतिरिक्त देयता लगभग ₹1.109 लाख करोड़ आँकी गई है। ₹78,501.42 करोड़ की देयता 3,15,601 आवेदनों पर है और ₹65,263 करोड़ 2,62,102 संयुक्त-विकल्प जमा करने वालों पर अनुपातिक देयता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"न्यायिक आदेशों से उत्पन्न सामाजिक सुरक्षा दायित्व पेंशन निधियों की वित्तीय स्थिरता पर दबाव डालते हैं।" ईपीएफओ के उच्च पेंशन मामले के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में:

2022 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और उच्च वेतन पेंशन के संयुक्त विकल्प का संक्षिप्त परिचय; ईपीएफओ द्वारा सीबीटी को बताया गया ₹1.109 लाख करोड़ का अनुमानित भार।

मुख्य भाग में:

(क) पेंशनभोगियों के हित: वास्तविक वेतन पर पेंशन सामाजिक सुरक्षा का सार; (ख) निधि पर दबाव: प्रति व्यक्ति औसत ₹24.9 लाख की देयता, चल रहे मुकदमों से और वृद्धि की संभावना; (ग) प्रक्रियागत पक्ष: 99.2 प्रतिशत आवेदनों का निस्तारण, 80,067 मामलों की अपात्रता, प्रशासनिक क्षमता का संकेत; (घ) समाधान: अंशदान-आधारित सुधार, एक्छुअरी (बीमांकिक) मूल्यांकन, सरकारी समर्थन का ढाँचा।

निष्कर्ष में:

सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और निधि की दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन ही टिकाऊ समाधान है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

फॉर्म-10D क्या है?

ईपीएस-95 के तहत मासिक पेंशन का दावा करने के लिए जमा किया जाने वाला फॉर्म है; सेवानिवृत्ति पर या पात्रता पूरी होने पर सदस्य इसे भरता है और इसी के आधार पर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।

ईपीएस पेंशन निधि में पैसा कहाँ-कहाँ से आता है?

ईपीएस, 1995 के नियमों के अनुसार नियोक्ता के अंशदान में से कर्मचारी के वेतन का 8.33 प्रतिशत हिस्सा पेंशन निधि में जाता है, और केंद्र सरकार भी सदस्यों के वेतन की दर से 1.16 प्रतिशत अंशदान पेंशन निधि में जमा करती है। ये अंशदान अधिकतम ₹15,000 मासिक वेतन-सीमा पर देय होते हैं (उच्च वेतन पर विकल्प अलग प्रक्रिया से)।

ईपीएफओ और सीबीटी में क्या संबंध है?

केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ईपीएफओ का शीर्ष निर्णयन निकाय है; इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं और प्रमुख नीतिगत निर्णय इसी बोर्ड की बैठकों में लिए जाते हैं।

स्रोत

- www.thehindu.com
- www.epfindia.gov.in

PCSMANTRA.COM